

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय इन्दौर म.प्र.

कमांक 5399/नग्रानि/एसडीएम/2011/इन्दौर

दि.क - 28/7/2011

प्रति,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर

तक/सम्पदा/स्था./विधि/डिजाइन/लेखा
अ वक क्रमांक.....6674.....
दिनांक 29-JUL-2011
प्र. म. प्रावक लिपिक

विषय : इन्दौर विकास प्राधिकारी की योजना क. 155 में समाविष्ट ग्राम छोटा बांगड़दा की भूमि के विकास के संदर्भ में अनापत्ति बाबद ।
संदर्भ : प्राधिकारी कार्यालय का पत्र कमांक 5483 दिनांक 28.06.2011 ।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से ग्राम छोटा बांगड़दा की भूमि पर योजना कमांक 155 हेतु संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत अभिलेखों अनुसार विकास योजना 2021 के अनुरूप प्रस्तावित आवासीय एवं आर.डब्ल्यू.1 के अंतर्गत भूखंडीय विकास हेतु अभिन्यास म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत अनापत्ति हेतु प्रस्तुत किया है ।

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर योजना क. 155 ग्राम छोटा बांगड़दा में विकास योजना अनुसार प्रस्तावित आर.डब्ल्यू.1 एवं मार्ग की पश्चिम दिशा में आवासीय उपयोग प्रस्तावित है । उक्त योजना में आवासीय भूखण्ड नियोजित किये गये हैं, जो विकास योजना 2021 के प्रावधानों अनुसार प्रस्तावित किये गये हैं ।

प्राधिकारी द्वारा संदर्भित पत्र में उल्लेख अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुरूप अफॉडेबल हाउसिंग का नियोजन किया गया है साथ ही मौके पर उपलब्ध भूमि के आधार पर संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं । उल्लेखनिय है कि मौके पर विकास कार्य नहीं किया गया होने से, उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा दस्तावेजों के आधार पर परीक्षण उपरांत म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 28 के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना ग्राह्य करते हुए अनापत्ति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :-

1/ निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

- म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172
- म.प्र.नगर पालिका (कालोनाईजर् का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) 1998

निरंतर..... 2

५ ५

(स) नजूल अधिकारी, इंदौर

(द) अन्य किसी निकायों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा लेना

अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे ।

2/ म.प्र. नगर पालिक (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 के तहत भूखंडीय विकास के पूर्व कालोनाईजर का लायसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा अन्य सभी नियमों का पालन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा सुनिश्चित करने के पश्चात ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास के कार्य की अनुमति प्रदान की जावेगी ।

3/ विषयांकित भूमि के प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमियों पर निर्मित/अनुमोदित मार्गों, प्रस्तावित मार्गों, भूखंडों, खुले क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों की निरंतरता का समायोजन किया जावे ।

4/ म.प्र.नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार बाह्य विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा कराने के पश्चात् तथा इन नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कराने के पश्चात् ही विकास की अनुमति प्रदान की जावे ।

5/ म.प्र.नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 के प्रावधानों अनुसार समस्त आधारभूत सुविधाओं जैसे जल प्रदाय व्यवस्था, जल-मल निकासी की व्यवस्था का विकास पूर्ण कर विकास पूर्णता का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।

6/ विषयांकित भूमि के प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी भूमियों पर निर्मित/अनुमोदित मार्गों, प्रस्तावित मार्गों, भूखण्डों, खुले क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों की निरंतरता का समायोजन किया जावे ।

7/ संलग्न मानचित्र में दर्शायी गयी पार्क/ग्रीन बेल्ट की भूमि को फेंसिंग कर उसका विकास पथ वृक्षारोपण एवं पौधे लगाकर प्राथमिकता के आधार पर करना होगा ।

8/ स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखा जावे, जिन वृक्षों को काटना अत्यन्त आवश्यक है, उसके लिये नियमानुसार अनुमति कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा ।

9/ म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के अन्तर्गत प्रावधानों का पालन कर संबंधित विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित भापदंडों के अनुसार विकास किया जावेगा ।

10/ योजनांतर्गत भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जाना होगा ।

निरंतर..... 3

Handwritten signatures and initials

11/ योजनांतर्गत जो अधूरे भूखण्ड प्राधिकारी की योजना क्र. 51 से समन्वय करते हुए पूरे करना आवश्यक होंगे ।

12/ अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यप्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना होगी ।

13/ स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 मीटर बाय 1.20 मीटर साईज के बोर्ड पर अंकित कर स्थापित करना अनिवार्य होगा ।

14/ अनुमोदित अभिन्यास का स्थल पर सत्यापन ग्राम पटवारी तथा इस कार्यालय की उपस्थिति में अभिन्यास अनुमोदित की दिनांक से एक माह में करना अनिवार्य होगा जो कि अंतिम अनुज्ञा होगी, उसके पश्चात ही किसी भी प्रकार के विकास एवं निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी । अनुमोदित अभिन्यास के स्थल पर सत्यापन हेतु आवेदक को अपने स्वामित्व की भूमि की सीमाएं एवं प्रस्तावित विकास कार्यों के स्थल पर पत्थर एवं चूने के माध्यम से स्पष्ट अंकित करते हुए तदनुसार स्थल पर प्रत्येक भूखंड, मार्ग, खुले क्षेत्रों, सुविधाओं सेवाओं हेतु आरक्षित भूमि/भूखंडों की माप अनुसार अभिन्यास तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । इस प्रकार तैयार किये गये मानचित्र का ग्राम पटवारी की उपस्थिति में इस कार्यालय के द्वारा स्थल पर सत्यापन किया जाकर अंतिम अभिन्यास स्वीकृत किया जावेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर ही विकास कार्य प्रस्तावित किया गया है एवं अभिन्यास में प्रत्येक प्रयोजन के भूखंडों की माप/आकार क्षेत्रफल आदि स्पष्ट से हो ।

15/ विकास/निर्माण के पूर्व म.प्र.प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्राप्त की जाना होगी ।

16/ योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मार्गों के जंक्शन का विकास भारतीय रोड़ कांग्रेस के मानकों के अनुसार करना आवश्यक होगा ।

17/ किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रति संहित (रिहोक) कर दी जावेगी ।

संलग्न : मानचित्र

Samle
संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, इंदौर

निरंतर.... 4


पृ.क. / नग्रानि/एसडीएम/2011, इंदौर

दिनांक-

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, इंदौर की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
3. उप पंजीयक (स्टॉम्प), जिला पंजीयक कार्यालय इंदौर की ओर सूचनार्थ ।

संलग्न - प्रत्येक के साथ एक-एक मानचित्र,


संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, इंदौर